Case name

Supreme Court of India vs. Narcoanalysis, Polygraph Examination, and Brain Electro-Stimulation (BEAP) Test (2010)

Case

एक आपराधिक मुकदमे में सबूत के रूप में नार्कोएनालिसिस, पॉलीग्राफ परीक्षा और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैपिग (बी. ई. ए. पी.) परीक्षणों के परिणामों की स्वीकार्यता पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय

Brief Summary

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नार्कोएनालिसिस, पॉलीग्राफ परीक्षा और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैपिग (बी. ई. ए. पी.) परीक्षणों से प्राप्त परिणामों को आपराधिक मुकदमें में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने निर्धारित किया कि ये परीक्षण "क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार" के बराबर हैं और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के परीक्षणों के परिणाम एक "प्रशंसात्मक चरित्र" रखते हैं और यदि मजबूरी के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं तो उन्हें सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

Main Arguments

मामले में शामिल पक्षों द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क एक आपराधिक मुकदमे में सबूत के रूप में नार्कोएनालिसिस, पॉलीग्राफ परीक्षा और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैपिग (बी. ई. ए. पी.) परीक्षणों के परिणामों की स्वीकार्यता के इर्द-गिर्दि केंद्रित थे। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत आत्म-दोषारोपण के खिलाफ व्यक्ति के अधिकारों और अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार पर विचार किया।

Legal Precedents or Statutes Cited

अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का हवाला दिया, जो व्यक्तियों को आत्म-दोषारोपण से बचाता है, और अनुच्छेद 21, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अदालत ने यह निर्धारित करने के लिए "पर्याप्त देय प्रक्रिया" की अवधारणा पर भी भरोसा किया कि इन तकनीकों का अनैच्छिक तरीके से उपयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का

Quotations from the court

"विवादित तकनीकों को'भौतिक साक्ष्य'के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे एक'प्रशंसात्मक चरित्र'रखते हैं और यदि उन्हें मजबूरी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है तो उन्हें साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। "किसी व्यक्ति को इनमें से किसी भी तकनीक से गुजरने के लिए मजबूर करना'पर्याप्त देय प्रक्रिया'के मानक का उल्लंघन करता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक है। इस तरह का उल्लंघन इस बात की परवाह किए बिना होगा कि विवादित तकनीकों को जबरन प्रशासित किया जाता है या नहीं।

Present Court's Verdict

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नार्कोएनालिसिस, पॉलीग्राफ परीक्षा और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटिी मैपिग (बी. ई. ए. पी.) परीक्षणों से प्राप्त परिणामों को आपराधिक मुकदमे में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह भी निर्धारित किया कि इन परीक्षणों का अनिवार्य प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

Conclusion

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक आपराधिक मुकदमे में सबूत के रूप में नार्कोएनालिसिसि, पॉलीग्राफ परीक्षा और ब्रेन इलेक्ट्रिकेल एक्टिविटी मैपिग (बी. ई. ए. पी.) परीक्षणों के परिणामों के उपयोग को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करता है। अदालत का फैसला आत्म-दोषारोपण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के महत्व पर जोर देता है, और फोरेंसिक विज्ञान और साक्ष्य कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है।